

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 1095 सन 2021

अनवान :-

1. रामसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. अशोक कुमार पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
3. अकबरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।

वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
2. मांगीलाल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
3. शर्मिला पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
4. मीरादेवी पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
5. गुडीदेवी पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
6. शिलोचना पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
7. राकेश कुमार पुत्र कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
8. सतपाल पुत्र कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
9. अनु पुत्री कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
10. बबीता पुत्री कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
11. शारदा पुत्री कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 26.11.2021.

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 21 जेएसएन के खाता संख्या 188/182 की कुल 6.9200हैक् वादी संख्या 1 ता 3 , प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम दर्ज है व रोही मौजा चक 4 आरपीएम के खाता संख्या 144/144 की कुल 1.0120हैक् भूमि वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज है व रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 130/122 की कुल 0.9240हैक् भूमि वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम व रोही मौजा चक 17 केएनएन के खाता संख्या 4/4 की कुल 5.0600हैक् भूमि वादी संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 1 ता 3 एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज है जो एक ही परिवार के सदस्य है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 वादीगण की बहने एवं मृतक बहन के विारसान जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का बराबर का हक हिस्सा की भूमि है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो एक ही परिवार के सदस्य है बाहमी बटवारा कर लिया है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ,2 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रशासन गांव के संग अभियान में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान - वर्ष -2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है तथा अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायाधिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420 हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290 हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 0.109 हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198 की कुल 6.5400 हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180 हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


वादीगण का कथन है वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से दर्ज है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

वादीगण का कथन है वाद भूमि जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है का बाहमी बटवारा किया हुआ है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा 26 N.T.R के खाता संख्या 130/122 कि 0.9240 हैक भूमि वादी संख्या 2 अशोक कुमार के नाम दर्ज कि जाकर वादी 1,3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का नाम कलमजन किया जाता तथा चक 4 R.P.M के खाता संख्या 144/144 कि 1.0120 हैक भूमि संख्या 1 अनिल कुमार के नाम दर्ज कि जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है तथा 17 K.N.N के खाता संख्या 4/4 में वादी, संख्या 1 रामसिंह के पास प.न. 296/382 मु.न. 57 कि.न. 13 कि 0.253 कि.न.14 कि 0.253 हैक कि.न. 15/1 कि 0.228 हैक कि.न. 15/2 कि 0.0250 रास्ता कि.न. 16/1 कि 0.0250 हैक गैमु0 रास्ता कि.न. 16/2 कि 0.228 हैक कि.न. 17 कि 0.253 है कि.न. 18 कि 0.253 हैक प.न. 297/382 मु.न. 56 कि.न. 21 कि 0.253 हैक प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 1 कि 0.209 उत्तरी भाग रहेगी तथा वादी संख्या 2 अशोक कुमार के पास प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 10 में मध्य की 0.051 हैक कि.न. 24 कि पूर्वी तरफ की 0.139 हैक रहेगी तथा वादी संख्या 3 अकबरसिंह के पास प.न. 296/383 मु.न. 69 कि.न. 6/1 कि 0.025 हैक गैमु0 रास्ता कि.न. 6/2 कि 0.228 प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 10 में दक्षिण तरफ की 0.164 रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार के पास प.न. 296/382 मु.न. 57 कि.न. 24 कि 0.253 कि.न. 25/1 कि 0.0250 गैमु0 रास्ता है कि.न. 25 /2 कि 0.228 प.न. 296/383 मु.न. 69 कि.न. 4 व 7 कि 0.506 हैक तथा प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 1 कि 0.044,दक्षिण कि.न. 10 में 0.038 हैक उत्तरी तथा प्रतिवादी संख्या 2 मांगीलाल के पास प.न. 296/383 मु.न. 69 कि.न. 5/1 कि 0.026 हैक गैमु0 रास्ता कि.न.5/2 0.227 हैक प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 13,17,18 व 23 कि 1.012 हैक कि.न. 24 में पश्चिम तरफ की 0.108 हैक रहेगी तथा चक 21 श्रृण्छ के खाता, संख्या 188/182 में वादी संख्या 1 रामसिंह के पास प.न. 324/403 मु.न. 29, कि.न. 1,10,11 व 20 कि 1.012 हैक रहेगी तथा वादी संख्या 2 अशोक कुमार के पास प.न. 324/402 मु.न. 24 कि.न. 23 ता 25 कि समस्त भूमि 324/403 मु.न. 29 कि.न. 3,8,13,18 कि 1.012 हैक रहेगी तथा वादी संख्या 3, अकबरसिंह के पास प.न. 323/403 मु.न. 30 कि.न. 3,4,7,8,13,14,17,18 कि 2.024 है कि.न. 19/2 कि 0.089 हैक रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार के पास प.न. 323/403 मु.न. 30 कि.न. 5/1 कि 0.025 गैमु0 खाला कि.न.5/2 कि 0.228 हैक 6/1 कि 0.025 गैमु0 खाला कि.न. 6/2 कि 0.228 कि.न. 15/1 कि 0.025 गैमु0 खाला कि.न. 15/2 कि 0.228 कि.न. 16/1 में 0.025 हैक गैमु0 खाला कि.न. 16/2 कि 0.228 हैक रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 मांगीलाल के पास प.न. 324/403 मु.न. 29 कि.न. 2,9,12,19 कि 1.012 हैक रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नौहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट... जसाना

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. रामसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. अशोक कुमार पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. अकबरसिंह पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. अनिल कुमार पुत्र हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र सुभाषचन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
3. शर्मिला पुत्री सुभाषचन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
4. मीरादेवी पत्नी सुभाष चन्द्र जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
5. गुडीदेवी पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
6. शिलोचना पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
7. राकेश कुमार पुत्र कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
8. सतपाल पुत्र कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
9. अनु पुत्री कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
10. बबीता पुत्री कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
11. शारदा पुत्री कृष्णा पुत्री हनुमानसिंह जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1095 सन 2021 निर्णय दिनांक-26.11.2021

आज यह वाद प्रशासन गांव क संग अभियान वर्ष - 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोघर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रौही मौजा 26 N.T.R के खाता संख्या 130/122 कि 0.9240 है0 भूमि वादी संख्या 2 अशोक कुमार के नाम दर्ज कि जाकर वादी 1,3 व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 का नाम कलमजन किया जाता तथा चक 4 R.P.M के खाता संख्या 144/144 कि 1.0120 है0भूमि संख्या 1 अनिल कुमार के नाम दर्ज कि जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम कलमजन किया जाता है तथा 17 K.N.N के खाता संख्या 4/4 में वादी, संख्या 1 रामसिंह के पास प.न. 296/382 मु.न. 57 कि.न. 13 कि 0.253 कि.न.14 कि 0.253 है0 कि.न. 15/1 कि 0.228 है0 कि.न. 15/2 कि 0.0250 रास्ता कि.न. 16/1 कि 0.0250 है0 गै0मु0 रास्ता कि.न. 16/2 कि 0.228 है0 कि.न. 17 कि 0.253 है कि.न. 18 कि 0.253 है0 प.न. 297/382 मु.न. 56 कि.न. 21 कि 0.253 है0 प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 1 कि 0.209 उत्तरी भाग रहेगी तथा वादी संख्या 2 अशोक कुमार के पास प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 10 में मध्य की 0.051 है0 कि.न. 24 कि पूर्वी तरफ की 0.139 है0 रहेगी तथा वादी संख्या 3 अकबरसिंह के पास प.न. 296/383 मु.न. 69 कि.न. 6/1 कि 0.025 है0 गै0मु0 रास्ता कि.न. 6/2 कि 0.228 प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 10 में दक्षिण तरफ की 0.164 रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार के पास प.न. 296/382 मु.न. 57 कि.न. 24 कि 0.253 कि.न. 25/1 कि 0.0250 गै0मु0 रास्ता है कि.न. 25 /2 कि 0.228 प.न. 296/383 मु.न. 69 कि.न. 4 व 7 कि 0.506 है0 तथा प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न. 1 कि 0.044,दक्षिण कि.न. 10 में 0.038 है0 उत्तरी तथा प्रतिवादी संख्या 2 मांगीलाल के,पास प.न. 296/383 मु.न. 69 कि.न. 5/1 कि 0.026 है0 गै0 मु0 रास्ता कि.न.5/2 0.227 है0 प.न. 297/383 मु.न. 70 कि.न.13,17,18 व 23 कि 1.012 है0कि.न. 24 में पश्चिम तरफ की 0.108 है0 रहेगी तथा चक 21 J.S.N के खाता, संख्या 188/182 में वादी संख्या 1 रामसिंह के पास प.न. 324/403 मु.न. 29, कि.न. 1,10,11 व 20 कि 1.012 है0 रहेगी तथा वादी संख्या 2 अशोक कुमार के पास प.न. 324/402 मु.न. 24 कि.न. 23 ता 25 कि समस्त भूमि 324/403 मु.न. 29 कि.न. 3,8,13,18 कि 1.012 है0 रहेगी तथा वादी संख्या 3, अकबरसिंह के पास प. न. 323/403 मु.न. 30 कि.न. 3,4,7,8,13,14,17,18 कि 2.024 है कि.न. 19/2 कि 0.089 है0 रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 1 अनिल कुमार के पास प.न. 323/403 मु.न. 30 कि.न. 5/1 कि 0.025 गै0मु0 खाला कि.न.5/2 कि 0.228 है0 6/1 कि 0.025 गै0मु0 खाला कि.न. 6/2 कि 0.228 कि.न. 15/1 कि 0.025 गै0मु0 खाला कि.न. 15/2 कि 0.228 कि.न. 16/1 में 0.025 है0 गै0मु0 खाला कि.न. 16/2 कि 0.228 है0 रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 2 मांगीलाल के पास प.न. 324/403 मु.न. 29 कि.न. 2,9,12,19 कि 1.012 है0 रहेगी तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 11 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 200/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष - 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष- 2021
कैम्प कोर्ट....जसाना